

**Rule 129 : Initiation and conduct of proceedings**

- (1) Where the Standing Committee is satisfied that there is a *prima-facie* evidence to show that the supplier has not passed on the benefit of reduction in rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, it shall refer the matter to the <sup>1</sup>[Director General of Anti-profiteering] for a detailed investigation.
- (2) The <sup>2</sup>[Director General of Anti-profiteering] shall conduct investigation and collect evidence necessary to determine whether the benefit of reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of the input tax credit has been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.
- (3) The <sup>3</sup>[Director General of Anti-profiteering] shall, before initiation of investigation, issue a notice to the interested parties containing, *inter alia*, information on the following, namely:-
  - (a) the description of the goods or services in respect of which the proceedings have been initiated;
  - (b) summary of statement of facts on which the allegations are based; and
  - (c) the time limit allowed to the interested parties and other persons who may have information related to the proceedings for furnishing their reply.
- (4) The <sup>4</sup>[Director General of Anti-profiteering] may also issue notices to such other persons as deemed fit for fair enquiry into the matter.
- (5) The <sup>5</sup>[Director General of Anti-profiteering] shall make available the evidence presented to it by one interested party to the other interested parties, participating in the proceedings.
- (6) The <sup>6</sup>[Director General of Anti-profiteering] shall complete the

---

1 Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

2 Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

3 Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

4 Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

5 Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

6 Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

investigation within a period of <sup>7</sup>[six] months of the receipt of the reference from the Standing Committee or within such extended period not exceeding a further period of three months for reasons to be recorded in writing <sup>8</sup>[as may be allowed by the Authority] and, upon completion of the investigation, furnish to the Authority a report of its findings along with the relevant records.

---

- 
- 7 Substituted for "three" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.
- 8 Substituted for "as allowed by the Standing Committee" Noti. No. 14/2018–Central Tax, dt. 23-03-2018 w.e.f. 23-03-2018.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 129 : आरंभ और कार्यवाहियों के परिचालन के सिद्धान्त**

- (1) जहां स्थायी समिति ने अपना समाधान कर लिया है कि वहां दिखाने के प्रथम दृष्टतया साक्ष्य हैं कि प्रदायकर्ता द्वारा माल और सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, मामले को ब्यौरेवार अन्वेषण के लिए <sup>1</sup>[मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय] को निर्दिष्ट करेगी।
- (2) <sup>2</sup>[मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय] अन्वेषण संचालित करेगा और क्या माल या सेवाओं के किसी प्रदाय पर कर की दर में कोई कटौती या इनपुट कर प्रत्यय पर फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है, आवश्यक साक्ष्य संग्रहित करेगा।
- (3) <sup>3</sup>[मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय] अन्वेषण के आरंभ से पूर्व, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित यथायोग्य सूचना अंतर्विष्ट है, अर्थात् :-
  - (क) माल या सेवाओं का विवरण जिसके संदर्भ में कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं;
  - (ख) तथ्यों के विवरण का सार जिस पर आरोप आधारित है;
  - (ग) हितबद्ध व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों को जिनके पास उनके उत्तर के लिए कार्यवाहियों से संबंधित सूचना हो सकती है अनुज्ञात समय-सीमा।
- (4) <sup>4</sup>[मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय] ऐसे अन्य व्यक्तियों जो मामले में ऋजु जांच के लिए उपयुक्त समझे गए हैं, को सूचना जारी कर सकेगा।
- (5) <sup>5</sup>[मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय] उसके समक्ष कार्यवाहियों में भाग ले रही किसी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिए साक्ष्यों को उपलब्ध करवाएगा।

---

- 1 अधिसूचना क्रमांक 29/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा "रक्षोपाय महानिदेशालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।
- 2 अधिसूचना क्रमांक 29/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा "रक्षोपाय महानिदेशालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।
- 3 अधिसूचना क्रमांक 29/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा "रक्षोपाय महानिदेशालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।
- 4 अधिसूचना क्रमांक 29/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा "रक्षोपाय महानिदेशालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।
- 5 अधिसूचना क्रमांक 29/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा "रक्षोपाय महानिदेशालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (6) <sup>6</sup>[मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय] स्थायी समिति से निर्देश की प्राप्ति से <sup>7</sup>[छह] मास की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि जो आगे तीन मास की अवधि से अनधिक हो के लिए <sup>8</sup>[ऐसे लिखित में दिए गए कारणों से, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किए जाएं, अन्वेषण पूर्ण करेगा] और अन्वेषण के पूर्ण होने पर, सुसंगत अभिलेखों के साथ उनके निष्कर्ष की एक रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगा।
- 

- 
- 6 अधिसूचना क्रमांक 29/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा "रक्षोपाय महानिदेशालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।
- 7 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा शब्द "तीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।
- 8 अधिसूचना क्रमांक 14/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा "स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2018)।